कार्यालय नजारत अनुभाग, जिला जजी, लखीमपुर–खीरी।
निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र संख्या 2785/Admin. (B-I) Section Dated: August 24, 2024 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक कुल छः माह की अवधि) हेतु जनपद न्यायालय लखीमपुर–खीरी परिसर में स्थित कैन्टीन संख्या 01, कैन्टीन संख्या 02, ठेका ठण्डा पानी जलजीरा, साइकिल/मोटर साइकिल स्टैण्ड, स्टेशनरी/फोटोस्टेट संख्या 01, स्टेशनरी /फोटोस्टेट संख्या 02 एवं फोटोस्टेट के ठेके हेतु सील बन्द निविदाएं पृथक–पृथक ठेकों हेतु दिनांक 27.09.2024 को समय 01:30 PM तक नजारत अनुभाग, जिला–जजी, लखीमपुर–खीरी में आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 28.09.2024 को समय 04:30 PM पर नीलामी समिति के समक्ष खोली जायेंगी। ठेकों की न्यूनतम धनराशि निम्नवत है:–

कैन्टीन संख्या 01 के ठेके की न्यूनतम धनराशि मु० 2,05,000/–रुपये, कैन्टीन संख्या 02 के ठेके की न्यूनतम धनराशि मु० 1,10,422/–रुपये, ठण्डा पानी/जलजीरा के ठेके की न्यूनतम धनराशि मु० 27,800/– रुपये, साइकिल/मोटर साइकिल स्टैण्ड के ठेके की न्यूनतम धनराशि मु० 3,35,500/–रुपये, फल ठेके की न्यूनतम धनराशि मु० 13,800/–रुपये, स्टेशनरी/फोटोस्टेट संख्या 01 के ठेके की न्यूनतम धनराशि मु० 80,025/–रुपये, स्टेशनरी/फोटोस्टेट संख्या 02 के ठेके की न्यूनतम धनराशि मु० 58,027/–रुपये एवं फोटोस्टेट के ठेके की न्यूनतम धनराशि मु० 1,00,500/–रुपये है। निविदा फार्म नजारत अनुभाग, लखीमपुर–खीरी/ न्यायालय की वेबसाइट **https://kheri.dcourts.gov.in/#tenders** से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा की शर्तें-

1. इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त ठेकों हेतु पृथक-पृथक निविदाएं सील बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक एवं व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरी/उपनाजिर, लखीमपुर-खीरी को नियत तिथि एवं समय पर भेजे/जमा कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. सबसे उच्च मूल्य की निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदा के साथ पहचान-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
3. निविदा स्वीकार किये जाने के बाद निविदा में वर्णित धनराशि का 1/4 भाग जमा किया जाना अनिवार्य है, शेष धनराशि तीन समान किश्तों में दिनांक 15 नवम्बर 2024, 01 जनवरी 2025 व फरवरी 2025 (द्वितीय सप्ताह) में देय होगी।
4. नजारत अनुभाग में उपनाजिर के पास मु० 10,000/-रुपये मात्र (ठेका कैन्टीन सं० 01 व 02, साइकिल/मोटर साइकिल स्टैण्ड, स्टेशनरी/फोटोस्टेट सं० 01 व 02 तथा ठेका फोटोस्टेट हेतु) कॉशन मनी के रूप में (जरिये टेण्डर) जमा कराना अनिवार्य है, तथा मु० 1,000/- रुपये मात्र (ठेका फल तथा ठेका ठण्डा पानी/जलजीरा हेतु) कॉशन मनी के रूप में (जरिये टेण्डर) जमा कराना अनिवार्य है। यदि निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति इस जजी का पूर्व का ठेकेदार है तो उसे दिनाँक 27–09–2024 तक केन्द्रीय नाजिर से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करके नीलामी के पूर्व दाखिल करना होगा।
5. उच्च दर की निविदा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के उपरान्त प्रभावी होगी।
6. निविदा शर्तों का अनुपालन अनुज्ञाप्ति धारक को करना अनिवार्य होगा, उसके उल्लंघन पर निविदा निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम दिन (31 मार्च,2025 को) दुकान खाली करना अनिवार्य होगा।
8. दुकान में विद्युत प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. यदि दुकान में कोई क्षति कारित की जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी अनुज्ञाप्तिधारक की होगी और उसकी क्षतिपूर्ति अनुज्ञाप्तिधारी से वसूल की जायेगी।

(योगेश कुमार यादव)
सदस्य नीलामी समिति/
सिविल जज (व०प्र०)
लखीमपुर–खीरी।

(राहुल सिंह–प्रथम)
सदस्य नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।

(सुभाष सिंह)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
लखीमपुर–खीरी।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. नोडल ऑफिस, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय लखीमपुर-खीरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, लखीमपुर-खीरी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सरकारी हित में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उसका निशुल्क प्रकाशन अधिक से अधिक दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि निम्न कार्यालयों के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतुः-

1. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय परिसर, लखीमपुर-खीरी।
2. नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट परिसर, लखीमपुर-खीरी।
3. नोटिस बोर्ड, तहसील परिसर, लखीमपुर-खीरी।
4. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका परिषद, लखीमपुर-खीरी।
5. नोटिस बोर्ड, बस स्टैण्ड, लखीमपुर-खीरी।
6. नोटिस बोर्ड, विकास भवन, लखीमपुर-खीरी।
7. नोटिस बोर्ड, बार संघ, लखीमपुर-खीरी।

न्यायालय की आज्ञा से,

केन्द्रीय नाजिर, खीरी
जिला–जजी, खीरी।

कार्यालय नजारत अनुभाग, जिला–जजी, लखीमपुर–खीरी।
न्यायालय परिसर, लखीमपुर–खीरी में संचालित विभिन्न ठेकों की वित्तीय वर्ष 2024–25 में नीलामी हेतु निविदा फार्म

निविदा जिस दुकान/ठेके हेतु प्रस्तुत, का नामः–..............................
प्रथम पक्षः–

निविदाकर्ता का नाम	–..
पिता का नाम	–..
पता	–..
	....
मोबाइल नं०	–..
आधार नम्बर	–..
ई–मेल आई०डी०	–..
प्रस्तावित अनुबन्ध राशि	–..

अनुज्ञाप्तिदाताः– ठेका नीलामी समिति, जनपद न्यायालय अधिष्ठान, लखीमपुर–खीरी।

न्यायालय परिसर में स्थित कैन्टीन संख्या 01 – मु० 2,05,000/–रुपये, कैन्टीन संख्या 02 – मु० 1,10,422/–रुपये, ठण्डा पानी/जलजीरा – 27,800/– रुपये, साइकिल/मोटर साइकिल स्टैण्ड – मु० 3,35,500/–रुपये, फल – मु० 13,800/–रुपये, स्टेशनरी/फोटोस्टेट संख्या 01 – मु० 80,025/–रुपये, स्टेशनरी/फोटोस्टेट 02 – मु० 58,027/–रुपये एवं फोटोस्टेट – मु० 1,00,500/–रुपये है न्यूनतम धनराशि निर्धारित है। निविदा की शर्तें निविदा सूचना में अंकित है।

निविदा फार्म प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता के द्वारा बन्द निविदा के साथ पहचान–पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति नवीनतम फोटोग्राफ संलग्न करना आवश्यक होगा।

नोटः– सील बन्द निविदा दिनांक 27.09.2024 को समय 01:30 PM तक प्राप्त/स्वीकार होंगी तथा दिनांक 28.09.2024 को समय 04:30 PM पर निविदाकर्ता/प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में ठेका नीलामी समिति के समक्ष खोला जायेगा। यदि उक्त दिवस पर किन्हीं अपरिहार्य कारणवश निविदा नहीं खुल पायी, तो अगले कार्य दिवस पर समय 04:30 PM पर निविदा खोली जायेंगी।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार है।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

पिता का नाम	–.................................
पता	–.................................
मोबा०नं०	–.................................
आधार नं०	–.................................
ई–मेल आई०डी०	–.................................